न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, मौदहा, जनपद–हमीरपुर।

उपस्थित– ब्रजेश कुमार पटेल (उ0प्र0 न्यायिक सेवा)(JO code.UP4766)

UPHM120007652016

Presented on	: 25-10-2016
Registered on	: 25-10-2016
Decided on	: 05-08-2026
Duration	: **09 Years 09 Months 11 days**

CRIMINAL CASE/1169/2016

सरकार

बनाम

1–इन्तजार हुसैन पुत्र शमशाद हुसैन

2–परवेज पुत्र शमशाद हुसैन

3–श्रीमती किशवर जहां पत्नी शमशाद हुसैन **(मृतक)**

4–तबस्सुम फातमा पुत्र शमशाद हुसैन

5–शमशाद हुसैन पुत्र रफीक हुसैन

समस्त निवासीगण मुहल्ला अमन शहीद बाबा थाना कोतवाली हमीरपुर जिला हमीरपुर। .....**अभियुक्तगण**

मु0अ0सं0–96/2016
धारा–498ए,323,504 भा0दं0सं0 व
3/4 डी0पी0 एक्ट
थाना–सिसोलर, जिला हमीरपुर।

JUDGMENT
(Delivered on -05.08.2026-)

---

(1) अभियुक्तगण 1–इन्तजार हुसैन पुत्र शमशाद हुसैन, 2–परवेज पुत्र शमशाद हुसैन, 3–श्रीमती किशवर जह पत्नी शमशाद हुसैन, 4–तबस्सुम फातमा पुत्र शमशाद हुसैन व 5–शमशाद हुसैन पुत्र रफीक हुसैन के विरुद्ध मु0अ0सं0–96/2016 धारा–498ए,323,504 भा0दं0सं0 व 3/4 डी0पी0 एक्ट थाना सिसोलर, जिला हमीरपुर की पुलिस द्वारा विचारण हेतु न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है।

(2) संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वर्ष 2014 में अभियुक्तगण ने वादिया मुकदमा श्रीमती नेहा पुत्र नजरे हैदर को दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर मारपीट की तथा गाली गलौच की।

Digitally signed by Brajesh Kumar Patel
Date: 2026.08.05 14:30:53 IST
Reason: Judgement
Location: CJJD/JM MAUDAHA
HAMIRPUR

(3) उक्त लिखित तहरीर के आधार पर उपर्युक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध मु0अ0सं0–96/2016 धारा–498ए,323,504 भा0दं0सं0 व 3/4 डी0पी0 एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। संबंधित विवेचक द्वारा संपूर्ण विवेचना किए जाने के उपरान्त उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा–498ए,323,504 भा0दं0सं0 व 3/4 डी0पी0 एक्ट के अंतर्गत आरोप पत्र विचारण हेतु प्रेषित किया गया।

(4) आरोप पत्र न्यायालय में प्राप्त होने के उपरान्त दिनांक 25.10.2016 को प्रसंज्ञान लिया गया और अभियुक्तगण को आहूत किया गया। अभियुक्तगण उपस्थित आये तथा उन्हें नकले प्रदान करायी गयीं। **अभियुक्ता श्रीमती किशवर जहां की मृत्यु हो जाने पर उसके विरूद्ध मुकदमें की कार्यवाही उपशमित की गयी।** पत्रावली के परिशीलन के पश्चात दिनांक 24.10.2025 को अभियुक्तगण 1–इन्तजार हुसैन पुत्र शमशाद हुसैन, 2–परवेज पुत्र शमशाद हुसैन, 3–तबस्सुम फातमा पुत्र शमशाद हुसैन व 4–शमशाद हुसैन पुत्र रफीक हुसैन के विरुद्ध आरोप विरचित किये गए। आरोपों को अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया, जिसपर उन्होंने आरोपों से इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

(5) अभियोजन पक्ष को साक्ष्य का अवसर दिया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से साक्षी पी0डब्लू0–1 के रूप में श्रीमती नेहा पुत्री नजरे हैदर व पी0डब्लू0–2 के रूप में अनवर रजा पुत्र नजरे हैदर को परीक्षित कराया गया।

उपर्युक्त साक्षी द्वारा निम्नलिखित अभिलेखीय साक्ष्यो को साबित किया गया।

तहरीर (कागज सं0–5क)	प्रदर्श क 1	पी0डब्लू0–1

(6) अभियोजन प्रलेखीय साक्ष्यो के रूप में तहरीर, आरोप पत्र व नक्शा नजरी प्रस्तुत किये गए। अभियुक्तगण द्वारा प्रपत्रो की वैधता को स्वीकार किया गया। अभियोजन का साक्ष्य समाप्त करते हुए पत्रावली वास्ते 313 दं0प्र0सं0 नियत कर दी गई।

(7) अभियोजन साक्ष्य समाप्त के पश्चात अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा 313दं०प्र०सं० दिनांक 26.05.2026 को दर्ज किये गये, जिसमें अभियुक्तगण ने कथन किया कि उपर्युक्त अभियोजन कथानक गलत है, उन्होंने कोई घटना कारित नहीं की है और झूठा मुकदमा किया जाना बताया।

(8) विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी तथा बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

(9) दौरान बहस अभियोजन पक्ष की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण ने वर्ष 2014 में वादिया मुकदमा श्रीमती नेहा पुत्र नजरे हैदर को दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर मारपीट की तथा गाली गलौच की तथा अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया गया है। अतः अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा–498ए,323,504 भा0दं0सं0 व 3/4 डी0पी0 एक्ट का अपराध साबित है एवं दण्डित करने की याचना की गयी है।

(10) दौरान बहस बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है अभियुक्तगण ने कोई घटना कारित नही की है व उनको झूंठा फसाया गया है। अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–1 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में घटना का समर्थन किया है परन्तु जिरह में उसके द्वारा कथन किया गया है कि मेरे ससुराल वालों ने कभी भी अतिरिक्त दहेज की मांग नहीं की थी और न ही मेरे साथ गाली गलौच व मारपीट की। न ही मेरे गहने छीने गये। मैं अपने पति के साथ अपने ससुराल में शांतिपूर्वक हंसी खुशी से रह रही हूं। इस प्रकार अभियोजन अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने मे असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

(11) प्रस्तुत मामले मे निम्नलिखित अवधारण के लिये प्रश्न निम्नलिखित है–

I. **क्या अभियुक्तगण द्वारा वादिनी मुकदमा के साथ दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर मारपीट कारित की गयी है ?**
II. **क्या अभियुक्तगण द्वारा वादिनी मुकदमा को गाली गलौच की गयी?**
III. **क्या अभियोजन मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है?**
IV. **निष्कर्ष।**

अभियोजन साक्ष्य

(12) अभियोजन की ओर से परीक्षित पी0डब्लू0–1 श्रीमती नेहा पुत्री नजरै हैदर ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया कि ''मेरी शादी सन् 2014 में इंतजार हुसैन पुत्र शमशाद हुसैन निवासी हमीरपुर अमन शहीद में मुस्लिम रीति रिवाज से हुयी थी। शादी के कुछ दिन बाद से ही मेरे पति इंतजार हुसैन, मां किशवर जहां, बहन तबसुम फातमा छोटा भाई परवेज मुझ पर दहेज कम मिलने का ताना देने लगे और कार की दहेज में मांग करने लगे। कुछ दिन तक मैं बर्दाश्त करती रही और पैसा देती रही परन्तु उपरोक्त की मांग बढती गयी और मारपीट कर गाली गलौच करते रहे जिसकी जानकारी मैंने अपने भाई मां को दी तो मेरे भाई ने उन लोगों को बहुत समझाया परन्तु वो लोग कुछ समय तो चुप रहे परन्तु कुछ दिन बाद से चार

पहिया गाडी व पांच लाख रूपये की मांग करने लगे। मांग पूरी करने में असमर्थता जताने पर उपरोक्त लोगों ने मेरे सारे गहने छीन लिये और सादे कागज में हस्ताक्षर करा लिये तथा मेरे डेढ लाख रूपये भी ले लिये। मेरे एक वर्ष 06 माह की बच्ची है जिसका पालन पोषण का एक भी रूपये भी नहीं देते। जिससे मैं अपनी बच्ची को लेके अपने मायके आ गयी। गवाह को तहरीर दिखाई गयी जिसे देखकर गवाह ने कहा कि यह वही तहरीर है जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं जिसकी पुष्टि मैं करती हूं।''

(13) अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–1 की बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षा की गयी। प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया कि ''सन् 2014 में मेरी शादी इंतजार हुसैन पुत्र शमशाद हुसैन के साथ हुई। शादी के समय घरातियों और बरातियों के मध्य किसी बात को लेकर विवाद हो गया था जिसको लेकर हमारे घरवालों के मन में रोष आ गया था। मेरे घर वालों ने सादे कागज में हस्ताक्षर करवा लिये थे उसमें क्या लिखा मुझे कोई जानकारी नहीं है। मेरे ससुराल वालों ने कभी भी अतिरिक्त दहेज की मांग नहीं की थी और न ही मेरे साथ गाली गलौच व मारपीट की। न ही मेरे गहने छीने गये। मैं अपने पति के साथ अपने ससुराल में शांतिपूर्वक हंसी खुशी से रह रही हूं। हमारा आपस में कोई विवाद नहीं है। मेरे ससुरालीजन व पति मेरी बच्ची को हंसी खुशी से रखते हैं तथा उसका अच्छे तरीके से लालन पालन करते हैं। मेरा अपने ससुरालीजन या अपने पति से कोई विवाद नहीं था। आज न्यायालय में सम्मन मिलने पर जब मैं न्यायालय आयी तब मुझे उक्त तहरीर की जानकारी हुयी। तहरीर में लिखी हुई बातें पूर्णतयः गलत हैं। दरोगा जी ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था। मेरे पिता जी की मृत्यु हो चुकी है। मैं आगे उपरोक्त वाद में कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती हूं और न ही मैं झूठ बोल रही हूं।''

(14) अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–1 की विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा पुनः परीक्षा की गयी। पुनः परीक्षा में साक्षी ने कहा कि यह कहना सही है कि मेरा, मेरे पति व ससुरालीजनों से कोई विवाद नहीं है। और इन लोगों ने कभी भी मुझसे दहेज के रूप में पांच लाख रूपये व कार की मांग नहीं की थी और न ही मेरे साथ गाली गलौच व मारपीट की थी। यह कहना भी सही है कि हमारा आपस में सुलह हो गया है और मैं हंसी खुशी अपने ससुरालीजनों के साथ रह रही हूं। यह कहना गलत है कि मैं आज न्यायालय में किसी भय, लालच, दबाव के झूंठी गवाही दे रही हूं।

(15) अभियोजन की ओर से परीक्षित पी0डब्लू0–2 अनवर रजा पुत्र नजरै हैदर ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया कि '' मेरी बहन नेहा का निकाह मुस्लिम

रीति रिवाज से वर्ष 2014 में इंतजार हुसैन पुत्र शमशाद हुसैन निवासी अमन शहीद थाना कोतवाली हमीरपुर के सथ हुयी थी। निकाह के समय बरातियों और घरातियों के मध्य किसी बात को लेकर विवाद था जिस कारण एवं लोगों के बहकावे में आकर यह मुकदमा लिखवा दिया गया था। मेरी बहन नेहा के ससुराल वालों ने नेहा व हम लोगों से कभी भी अतिरिक्त दहेज की मांग नहीं की थी और न ही नेहा के साथ गाली गलौच एवं मारपीट की थी और न ही उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया था। मेरी बहन नेहा अपने पति इंतजार हुसैन के साथ अपने ससुराल वालों के साथ शांतिपूर्वक एवं हंसी खुशी के सथ रह रही है। मेरी बहन नेहा एवं उसके पति इंतजार हुसैन के दो बच्चे हैं जिनको मेरी बहन के ससुरालीजन व उसके पति हंसी खुशी से रखते हैं एवं पालन पोषण कर रहे हैं। इनके बीच अब कोई विवाद नहीं है। दरोगा जी ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था। इस स्तर पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया जाता है।''

(16) अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–1 की विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षा की गयी। प्रतिपरीक्षा में साक्षी को 161 दं0प्र0सं0 का बयान पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने इंकार करते हुये कहा कि मैंने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया था। उन्होंने ऐसा कैसे लिख लिया इसकी वजह मैं नहीं बता सकता। मेरी बहन नेहा के पति एवं उसके ससुरालीजन ने कभी भी अतिरिक्त दहेज की मांग नहीं की थी, न ही उसके साथ गाली गलौच एवं मारपीट की थी और न ही उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया था। यह कहना सही है कि मेरी बहन व उसके ससुरालीजनों के मध्य समझौता हो गया है परन्तु यह कहना गलत है कि सुलह होने के कारण या किसी धमकी लालच दबाव में आकर आज न्यायालय में झूंठी गवाही दे रहा हूं। मैं जो भी गवाही दे रहा स्वेच्छापूर्वक दे रहा हूं।

<u>निष्कर्ष एवं विश्लेषण</u>

हस्तगत मामले में आरोप पत्र तथा अन्य प्रपत्रो के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध विचारण अन्तर्गत धारा–498ए,323,504 भा0दं0सं0 व 3/4 डी0पी0 एक्ट में किया गया।

आपराधिक न्यायशास्त्र के सिद्धान्त के अनुसार अभियोजन को अभियुक्तगण पर लगाए गये आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना है पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक साक्ष्य एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रो के सम्यक अवलोकन से यह देखना है कि क्या अभियोजन अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है।

(17) अभियोजन द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्यों का सम्यक रूप से परिशीलन किया। अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–1 ने अपनी मुख्य परीक्षा मे कथन किया है कि अभियुक्तगण इन्तजार हुसैन, परवेज, तबस्सुम फातमा व किशवर जहां ने उसके साथ दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिर रूप से प्रताड़ना की और मारपीट व गाली गलौज की, परन्तु साक्षी पी0डब्लू0–1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा मे कथन किया है कि उसके ससुराल वालों ने कभी भी अतिरिक्त दहेज की मांग नहीं की थी और न ही उसके साथ गाली गलौच व मारपीट की, न ही उसके गहने छीने गये। पी0डब्लू0–1 ने अपने सुझाव में भी यह कथन किया है कि मेरे ससुरालीजन ने मेरे साथ अतिरिक्त दहेज की मांग करके मुझे प्रताड़ित नही किया था। साक्षी पी0डब्लू0–1 की मुख्य परीक्षा व प्रतिपरीक्षा मे घोर विरोधाभास है जिससे साक्षी पी0डब्लू0–1 के कथन विश्वसनीय प्रतीत नही होते है। अभियोजन की ओर से परीक्षित अन्य साक्षी पी0डब्लू0–2 ने भी कथन किया है कि उसकी बहन के साथ अभियुक्तगण द्वारा किसी भी प्रकार की घटना कारित नही की गयी। उपर्युक्त दोनो साक्षियों द्वारा घटना का समर्थन नही किया गया है तथा अभियुक्तगण द्वारा उक्त घटना कारित किये जाने से इंकार किया है। अभियोजन द्वारा न तो कोई दस्तावेजी और न ही इल्लेक्ट्रानिक साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं तथा न ही कोई ऐसा साक्षी अभियोजन द्वारा परीक्षित कराया गया है जिससे यह साबित हो सके कि अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित की गयी है। अभियोजन द्वारा तथ्य के किसी भी औपचारिक साक्षी को परीक्षित नही कराया गया है तथा पुलिस प्रपत्रो के साक्षियों को भी परीक्षित नही कराया गया है। अभियुक्तगण द्वारा पुलिस एवं अन्य प्रपत्रों की अनन्यता को स्वीकार किया गया है, परन्तु प्रपत्रों के तथ्यों से इंकार किया गया है। मात्र प्रपत्रों की अनन्यता को स्वीकार किये जाने से यह अर्थ नही लगाया जा सकता है कि अभियुक्तगण द्वारा घटना को स्वीकार किया गया है। साक्षीगण के साक्ष्य के आधार पर अभियोजन अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने मे असफल रहा है। इस प्रकार साक्षीगण के द्वारा किये गये कथनों के आधार पर अभियुक्तगण को प्रस्तुत मामले में दोषसिद्ध किये जाने के पर्याप्त आधार नहीं है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **हरियाणा राज्य बनाम भागीरथ,** AIR 1999 SC 2005, के मामले में यह विधि व्यवस्था स्थापित की गयी है कि :–

"The pristine doctrine of benefit of doubt can be invoked when there is resonable doubt regarding the guilt of the accused. It is the reasonable doubt which a conscientious judicial mind entertains on a conspectus of the entire envidence that the accused might not have committed the offence, which affords benefit to the accused at the end of the criminal trial. Benefit

of doubt is not a legal dosage to be administered at every segment of the evidence, but an advantage to be afforded to the accused at the final end after consideration of the entire evidence, if the judge conscientiously and reasonably entertains doubt regarding the guilt of the accused."

(18) उपर्युक्त साक्ष्यो के विश्लेषण से न्यायालय का निष्कर्ष है कि अभियोजन अपने साक्ष्यों के माध्यम से अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाए गए आरोप अंतर्गत धारा–498ए,323,504 भा0दं0सं0 व 3/4 डी0पी0 एक्ट को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

1– अभियुक्तगण 1–इन्तजार हुसैन पुत्र शमशाद हुसैन, 2–परवेज पुत्र शमशाद हुसैन, 3–तबस्सुम फातमा पुत्र शमशाद हुसैन व 4–शमशाद हुसैन पुत्र रफीक हुसैन समस्त निवासीगण मुहल्ला अमन शहीद बाबा थाना कोतवाली हमीरपुर जिला हमीरपुर को उपर्युक्त मामले मु0अ0सं0–96/2016 धारा–498ए,323,504 भा0दं0सं0 व 3/4 डी0पी0 एक्ट थाना सिसोलर, जिला हमीरपुर में संदेह का लाभ देते हुये दोषमुक्त किया जाता है।

2– अभियुक्तगण जमानत पर हैं, उनके व्यक्तिगत बंधपत्र व उनके प्रतिभूओं को दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

3– अभियुक्तण द्वारा दाखिल धारा 437ए द0प्र0सं0 के अंतर्गत व्यक्तिगत बंधपत्र एवं प्रतिभू 06 माह की अवधि तक अथवा अपील होने की स्थिति में माननीय अपीलीय न्यायालय के अग्रिम आदेश तक प्रभावी रहेंगे।

दिनांक–05.08.2026

(ब्रजेश कुमार पटेल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
मौदहा, जनपद–हमीरपुर।
JO code–UP4766

निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

दिनांक–05.08.2026

(ब्रजेश कुमार पटेल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
मौदहा, जनपद–हमीरपुर।
JO code–UP4766